


157



R 477 I-17

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र./...../.....

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार -

दिनांक 3-2-17 का
श्री केशव केशव शर्मा का
इसका अनुमति कर
3-2-17

श्री दशरथ तुमराची पिता श्री सोनू लाल तुमराची जाति गौड (आदिवासी)
निवासी-ग्राम बरबटी तह. व जिला जबलपुर

विरुद्ध -

अनावेदक -

1. श्री मेसर्स V.K.सिक्वोरिटी प्रायवेट लिमिटेड
पता-जी-21, जयंती कॉम्प्लेक्स, मढाताल, जबलपुर
द्वारा डायरेक्टर पुरुषोत्तम दास गुप्ता, पिता श्री कैलाश चंद्र गुप्ता
(गैर आदिवासी) निवासी-बी-3, अटारिया हॉउस विंग बाजार के
पास, मॉ नर्मदा रोड, जबलपुर
2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर



पुर्ननिरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

8 JAN 2017

1. माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 42/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दि. 23/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत यह पुर्ननिरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।
2. यह कि आवेदक अपीलकर्ता श्री दशरथ तुमराची पिता श्री सोनू लाल तुमराची जाति गौड (आदिवासी) निवासी-ग्राम बरबटी तह. व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम बरबटी प.ह.नं. 63 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. क्रमशः 385, 296 रकवा क्रमशः 0.450, 0.910 हेक्टे. भूमि का कुल रकवा 1.360 है. अनावेदक गैर आदिवासी श्री मेसर्स V.K.सिक्वोरिटी प्रायवेट लिमिटेड पता-जी-21, जयंती कॉम्प्लेक्स, मढाताल, जबलपुर द्वारा डायरेक्टर पुरुषोत्तम दास गुप्ता, पिता श्री कैलाश चंद्र गुप्ता (गैर आदिवासी) निवासी-बी-3, अटारिया हॉउस विंग बाजार के पास, मॉ नर्मदा रोड, जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 21/11/2016 (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

Handwritten signature and date 02/02/17

Handwritten initials

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 477-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8 - 2 - 17	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23-1-17 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक एवं अनावेदक क्रं. 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक की ग्राम बरबटी प. ह.नं. 63 रा.निमं. बरगी तहसील व जबलपुर स्थित भूमियां खसरा नं. 296 एवं 395 रकबा क्रमशः 0.910 एवं 0.450 हैक्टर को अनावेदक क्रमांक 1 /गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण दिनांक 21-11-16 को पंजीबद्ध कर दिनांक 3-4-17 को ग्राह्यता पर तर्क हेतु नियत किया गया इसके उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष दिनांक 23-1-17 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया है। कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है। कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और लंबी पेशी नियत कर दी गई है। आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है बल्कि</p>	


Handwritten signature

Handwritten signature

R. 477. 5/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>आवेदक की स्वअर्जित भूमि है। आवेदक की समाज के व्यक्ति भूमि को कय करने को तैयार नहीं है। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विकय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमि के अतिरिक्त ग्राम सूपावारा प.ह.नं. 47 रा.नि.मं. कुण्डम तहसील कुण्डम जिला जबलपुर में 4.200 हेक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि गैर आदिम जनजाति के सदस्य/केता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है और अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है। चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विकय की अनुमति मांगी गई है। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों को विकय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम बरबटी प.ह.नं. 63 रा. निमं. बरगी तहसील व जबलपुर स्थित भूमियां खसरा नं. 236 एवं 385 रकबा क्रमशः 0.910 एवं 0.450 हेक्टर को अनावेदक क्रमांक 1 /गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विकय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ विकय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-</p> <ol style="list-style-type: none">1- प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।2- केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।	

R. 477




XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 477-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
R 1/12	<p>3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।</p> <p style="text-align: center;"> (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर</p>	